न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:—38 / 2022 तारीख रजू:—05.07.2022

जीसीएमएस नंबर:—2022 / 49

पीठासीन अधिकारी :— दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

मोहम्मद हुसैन पुत्र बफाती जाति तेली निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

वादी—

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

—प्रतिवादी

उपस्थित:—
वकील वादी:— श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी :— तहसीलदार, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:—23.04.2025

दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट

1. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादी ग्राम चौथ का बरवाड़ा तहसील चौथ का बरवाडा का काश्तकार पेशा व्यक्ति है।वादी के पिता बफाती पुत्र नाथ तेली के नाम ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाडा में खाता संख्या 406 ख० नं० 1083 रकबा1 बीघा 19 बिस्वाकिस्म चाही 1 हिस्सा 1/2 खातेदारी का अंकन है। बंदोबस्त के बाद साबिक खसरा नंबर 1083 के नये खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.24 है0 बने हैं। वादी ग्राम चौथ का बरवाड़ा के पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा ए में खाता संख्या 750 रकबा 0.71 है0, खाता संख्या 751 रकबा 0.24 है0 का खातेदार काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 750 में खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0 किस्म तालाबी—1 एवं खाता संख्या 751 में खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.24 है0 किस्म तालाबी अंकित है, जबकि उक्त दोनों खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बने हैं एवं साबिक जमाबंदी संवत् 2037—40 के कॉलम संख्या 7 में भूमि की किस्म चाही—1 दर्ज है एवं कॉलम संख्या 8 में चाह नंबर 1106 से सिंचित होना दर्शाया गया है। बंदोबस्त के पश्चात् उक्त भूमि का वर्गीकरण गलती से चाही—1 की बजाय तालाबी—1 अंकित कर दिया, जो गलत है एवं इससे भूमि की प्रवृति भी प्रभावित होती है। अतः वादी का वादपत्र इस अमर डिक्री फरमाया जावे कि खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.24 है0 की किस्म तालाबी—1 के स्थाान पर चाही—1 की जाये।
2. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं नोटिस बनाम प्रतिवादी जारी किये गये।
3. प्रतिवादी तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2023/1624 दिनांक 28.06. 2023 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में बिन्दुवार इस प्रकार भिजवाई है कि:—
   i. वादी ग्राम चौथ का बरवांडा का निवासी है।
   ii. मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2037—40 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा के खाता संख्या 406 में अंकित खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही दर्ज है।
   iii. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.25, 2370/5250 रकबा 0.24 बने है।
   iv. जमाबन्दी चौसाला संवत 2074—77 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा के मुताबिक खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.25 किस्म तालाबी 1. 2370/5250 रकबा 0.24 किस्म तालाबी 1 दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

v. ग्राम चौथ का बरवाडा के साबिक खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा की किस्म चाही 1 तथा इसके हाल खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.25 किस्म तालाबी 1, 2370/5250 रकबा 0.24 किस्म तालाबी 1 दर्ज है जो भू–प्रबन्ध के दौरान अंकित करते हुए परिवर्तित की गयी है।

ग्राम चौथ का बरवाडा के साबिक खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा की किस्म चाही 1 तथा इसके हाल खसरा नम्बर 2370 रकबा 0.25 किस्म तालाबी 1 2370/5250 रकबा 0.24 किस्म तालाबी 1 दर्ज है जो भू–प्रबन्ध के दौरान अंकित करते हुए परिवर्तित की गयी है। मौके पर उक्त भूमि तालाब के समीप है परन्तु मौके पर समतल है तथा तालाब में स्थित नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान की सिंचाई खसरा नम्बर 2366 किस्म गै०मु० पनघट से होती है। अतः उक्त खसरा नम्बरान की किस्म तालाबी 1 के स्थान पर चाही 1 किये जाने योग्य है।

4. वकील वादी ने साक्ष्य में समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये –

- पी0डब्ल्यू0–1:– मोहम्मद हुसैन पुत्र बफाती खां जाति तेली निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- प्रदर्श–1:– जमाबंदी संवत् 2037–40
- प्रदर्श–2:– नकल मिलान क्षेत्रफल
- प्रदर्श–3:–जमाबंदी संवत् 2074–77
- प्रदर्श–4:–जमाबंदी संवत् 2074–77

5. बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार साबिक खसरा नंबर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0 एवं खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.24 है0 बने है, साबिक खसरा नंबर 1083 की किस्म वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2037–40 अनुसार चाही–1 है। तहसीलदार, रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौथ का बरवाड़ा के साबिक खसरा नंबर 1083 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा की किस्म चाही–1 थी। परन्तु भू–प्रबंध के दौरान नवीन खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0 व नवीन खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.24 है0 की किस्म तालाबी–1 दर्ज करते हुए परिवर्तित की गई है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूमि तालाब के समीप है, परन्तु तालाब में स्थित नहीं है और समतल है। साथ ही नवीन खसरा नंबरों की सिंचाई भी खसरा नंबर 2366 किस्म गै0मु0 पनघट से होना बताया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा नंबर 2370 व 2370/5250 की किस्म सेटलमेंट से पूर्व के रिकॉर्ड अनुसार चाही–1 किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 2370 रकबा 0.25 है0 की किस्म तालाबी–1 के स्थान पर चाही–1 एवं खसरा नंबर 2370/5250 रकबा 0.25 है0 की किस्म तालाबी के स्थान पर चाही–1 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीन दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0मा0)